25000 पच्चीस हजार रुपये 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 612461

Attested Attested

विक्रय मूल्य–रू0 9,68,000/–
मालियत –रू0 9,68,000/–
स्टाम्प –रू0 67,800/–
परगना – मोहनलालगंज

विक्रय विलेख

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – मोहनलालगंज
3. मोहल्ला / ग्राम – मस्तेमऊ
4. सम्पत्ति का विवरण–भूमि खसरा सं0–661क व 955 का मि0

--------2

भारत

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

D 612441

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5. मापन की इकाई – हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल– 0.242 हेक्टेयर
7. सड़क की स्थिति–(परिशिष्ट के अनुसार)
– सुल्तानपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि)– नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि भूमि
10. पेड़ों का मूल्यांकन – X
11. बोरिंग/कुआं/अन्य – X
12. निर्माण का वर्ष – X
13. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है– नहीं
14. प्रतिफल की धनराशि 9,68,000/– रुपये

भूमि खसरा संख्या–661क की चौहद्दी

पूरब – भूमि खसरा संख्या–662 व 672
पश्चिम – भूमि खसरा संख्या–660
उत्तर – भूमि खसरा संख्या–658
दक्षिण – चक मार्ग

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPE

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

भूमि खसरा संख्या–995 की चौहद्दी

पूरब – भूमि खसरा संख्या–954

पश्चिम – भूमि खसरा संख्या–948

उत्तर – चक मार्ग

दक्षिण – भूमि खसरा संख्या–949

प्रथम पक्ष की संख्या (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

कन्नू पुत्र सतान निवासी–ग्राम–मिर्जापुर भिठारी,
परगना व तहसील–फतेहपुर, जिला–फतेहपुर

क्रेता का विवरण

सत्येन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी–म0नं0–16ए/399, वृन्द योजना–4, रायबरेली रोड, लखनऊ, उ0प्र0।

कन्नू

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

INDIA

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEI

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह विक्रय विलेख कन्नू पुत्र सतान निवासी–ग्राम–मिर्जापु भिठारी, [illegible], परगना व तहसील–फतेहपुर जिला–फतेहपुर (जिसे इस विलेख में विक्रेता कहा गया है) के द्वार सत्येन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी–म0नं0–16ए/399 वृन्दावन योजना–4, रायबरेली रोड, लखनऊ, उ0प्र0 (जिर इस विलेख में क्रेता कहा गया है) के पक्ष में निष्पादित किया गया है

जो कि विक्रेता भूमि खाता संख्या–00309, खसरा संख्या 661क रकबा–0.0630 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या–955 रकबा 0.3000 हेक्टेयर दो किता कुल रकबा–0.3630 हेक्टेयर 2/3 भाग अर्थात् 0.2420 हेक्टेयर स्थित–ग्राम–मस्तेमउ

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 1

परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ, का मालिक कामिल व काबिज है। उक्त भूमि को विक्रेता ने पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय किया है, जो भू–राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित है।

जो विक्रेता के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य में मौजूद है। उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, अजकिस्म, रेहन, बंधक, इकरार कुर्की, जमानत, हिबा आदि से पूर्णतया बरी व पाक–साफ है, जिसके विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेता को प्राप्त है। चूँकि विक्रेता को रुपयों की सख्त आवश्यकता है, इसलिए विक्रेता

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 55

अपनी राजी खुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के पूर्ण होशो हवास में अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपरोक्त भूमि नम्बरी व पैमाराशी को बकीमत मु0 रूपया-9,68,000/- (नौ लाख अड़सठ हजार रूपया मात्र) जिसके आधे रूपया-4,84,000/- (चार लाख चौरासी हजार रूपया मात्र) होते हैं, मैं बदस्त क्रेता उपरोक्त के पक्ष में बय फरोख्त कतई किया यानि बेच दिया और कुल जरसमन हस्ब तफसील जैल क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना अपने ही समान क्रेता उपरोक्त का बखूबी करा दिया। अ आज की तारीख के बाद से विक्रेता या विक्रेता के किसी वारिसान कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि

एक हज़ार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 556

उसके विक्रय मूल्य के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जा या कब्जा न मिले, मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पा जाए, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादि अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त र हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रुपया म

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL
W 220
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व विक्रेता के वारिसान व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे कोई मुकाम उज्र का न होगा। आज की तारीख से क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त विक्रीत भूमि को समस्त राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लेवें, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई कुआँ या ट्यूबवेल

₹ 100 HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
CH 2456
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

या इमारत आदि नहीं है तथा 0–200 मीटर त्रिज्या के अन्दर कोई निर्माण, आवादी/आवासीय गतिविधियां विद्यमान नहीं है। विक्रीत भूमि पर कोई पेड़, कुआं, बोरिंग आदि नहीं है और उक्त भूमि कृषि भूमि है। विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

विक्रीत भूमि अर्द्धनगरीय क्षेत्र के परगना–मोहनलालगंज, के ग्राम–मस्तेमऊ की है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल–0.2420 हेक्टेयर है, जिसकी मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा जारी मूल्यांकन सूची के अनुसार सरकारी मूल्य रूपया 40,00,000/– प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है। विक्रीत भूमि

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

किसी राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग, जनपदीय मार्ग या सम्पर्क मार्ग पर स्थित नहीं है। अतः निर्धारित दर के अनुसार विक्रीत भूमि की कुल सरकारी मालियत मुबलिग रूपया–9,68,000/– होती है, जो वि विक्रय मूल्य के बराबर है। अतः विक्रय मूल्य पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 की अधिसूचन संख्या–स.वि.क.नि.5–2756/11–2008–500 (165)/200' दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से रूपया 67,800/– का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। क्रेता व विक्रेता र मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा बय पंजीकृत नही किया गया है। उव

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEE

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रीत भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख समक्ष गवाहान खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरुस्त होशोहवास व स्वस्थ चित्त मन से निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे तथा क्रेता ने भी अपने हस्ताक्षर करके बैनामें का निष्पादन किया।

रकबा–0.0630 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या–955 रकबा 0.3000 हेक्टेयर दो किता कुल रकबा–0.3630 हेक्टेयर 2/3 भाग अर्थात् 0.2420 हेक्टेयर स्थित–ग्राम–मस्तेमउ परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ।

तफसील वसूलयाबी जरसमन

1. रूपया–9,68,000/– जरिये चेक संख्या– 656301 दिनांक 27.11.2014 अदाता आई.सी.आई.सी.आई बैंक, हजरतगं लखनऊ।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रूपया–9,68,000/– (लाख अड़सठ हजार रूपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से उपरोक्तानुर प्राप्त कर लिया है। अब विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में विक्रेता को क्र से कुछ भी धनराशि पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ

दिनांक : 27.11.2014

ह0 विक्रेता

1. गवाह : आशीष कुमार

पता : S/o सियाराम ग्राम – आदेरा लाला फतेहपुर

ह0 क्रेता

2. गवाह : संदीप सिंह, एडवोकेट

पता : कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ

टाइपकर्ता

(सोनू बालाजी)

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता

(संदीप सिंह

एडवोकेट

कलेक्ट्रेट, लख

एवं खसरा संख्या–955 रकबा–0.3000 हेक्टेयर दो किता कुल रकबा–0.3630 हेक्टेयर में 2/3 भाग अर्थात् 0.2420 हेक्टेयर स्थित–ग्राम–मस्तेमऊ, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ।

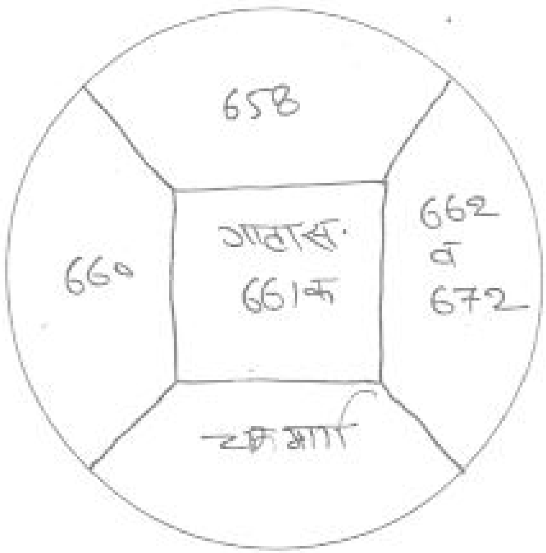

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

आज दिनांक 27/11/2014 को

बही सं 1 जिल्द सं 5164

पृष्ठ सं 347 से 372 पर क्रमांक 19636

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.श्रीवास्तव (प्रभारी)

उ.नि.मोहनलालगंज

लखनऊ

27/11/2014